Journal of Science and Research Innovations

Volume - 4, Issue - 1, June 2026 ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

Received: 25-05-2026 **Revised**: 27-05-2026 **Accepted**: 30-05-2026

आपराधिक प्रवृत्ति पर पारिस्थितिकी के प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (मऊगंज जिले के विशेष संदर्भ में)।

* डॉ. आलोक कुमार मिश्रा
फैकल्टी
विधि विभाग
अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा

** मनीषा शुक्ला
शोधार्थी
एल–एल.एम.

सारांष

यह शोधपत्र आपराधिक प्रवृत्ति पर पारिस्थितिकी के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। यह अध्ययन विशेष रूप से मऊगंज जिले पर केन्द्रित है, मऊगंज जिला म0प्र0 का एक नवीन जिला है जो वर्ष 2023 में रीवा से अलग होकर नया जिला बना है। जहां सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन तीव्रगति से हो रहें हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव जिले की आपराधिक प्रवृत्तियों पर भी देखा जा सकता है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मऊगंज जिले में आपराधिक प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले पारिस्थितिकीय कारकों जैसे मऊगंज क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

शब्द कुंजी : अपराध , आपराधिक प्रवृत्ति , पारिस्थितिकी , सामाजिक असमानता, नशाखोरी, विधिक साक्षरता, सोशल मीडिया

प्रस्तावना

समाज में अपराध एक जटिल समस्या है मानव समाज के साथ–साथ अपराध की समस्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। अपराध किसी भी समाज के लिये एक गंभीर चुनौती है क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था, शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करता है। अपराध की उत्पत्ति केवल व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति का परिणाम नहीं होती बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक परिवेश का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात किसी व्यक्ति को अपराधी बनाने वाले एक या दो कारक नहीं होते बल्कि कई कारकों का संयोजन उसे आपराधिक आचरण अपनाने के लिये प्रेरित करता है। बढ़ती बेरोजगारी, बेकारी के साथ–साथ नशाखोरी की प्रवृत्ति भयावह कारण है।

पारिस्थितिकी शब्द का सामान्य अर्थ वातावरण अथवा पर्यावरण से है। अपराधशास्त्र में पारिस्थितिकी का आशय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों से है

जिसमें व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। अर्थात व्यक्ति के चारों ओर उपस्थित सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियां अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाने अथवा नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण यह मानता है कि व्यक्ति, समाज और पर्यावरण के बीच निरंतर अंतःक्रिया अपराध को जन्म देती हैं।

मऊगंज जिला म0प्र0 का एक नवीन जिला है अतः यह सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र है। यह जिला भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं मिर्जापुर जिलों से जुड़ती है। सामाजिक संरचना में तेजी से बदलाव आर्थिक असंतुलन एवं संशाधनों की कमी जैसी परिस्थितियां अपराध को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभा रहीं हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो मऊगंज जिले में अपराध की घटना बढ़ती जा रही हैं। मार्च 2025 में गडरा कांड[1], मई 2026 में पाडर गांव में लाखों की चोरी इत्यादि उदाहरण हैं जो समाज एवं प्रशासन दोनों के लिये चिंता का विषय है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपराध के पीछे के कारण एवं अपराधी के मानसिक स्थिति, आपराधिक प्रवृत्ति एवं पारिस्थितिकी कारकों का गहन अध्ययन किया जाय। प्रस्तुत शोध में 'मऊगंज जिले के विशेष संदर्भ में आपराधिक प्रवृत्ति पर पारिस्थितिकी के प्रभाव का विशेलषणात्मक अध्ययन' इसी उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि यह समझा जा सके की सामाजिक एवं पर्यावणीय परिस्थितियां किस प्रकार व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं तथा अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी उपाय सुझाए जा सकें।

[1]गडरा कांड मे जमीनी विवाद के चलते पुलिस बल पर हमला, एक ग्रामीण युवक की हत्या, एक पुलिस के ए0एस0आई0 की हत्या, एस0डी0ओ0पी0 को घर के अंदर बंधक बनाने तथा तहसीलदार पर प्राणघातक हमला किया गया।

परिभाषायें

' अपराध

अपराध को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है तथा सभी का मानना है कि इसे परिभाषित करना एक दुरूह कार्य है।

केनी के अनुसार, 'अपराध ऐसे दोष हैं अनुशास्ति दांडिक है और जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है, परन्तु यदि क्षम्य है तो केवल क्राउन द्वारा क्षम्य है।' [2]

ब्लैकस्टोन के अनुसार, 'किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाले लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है।'[3]

आस्टिन के अनुसार, 'अपराध वह दोष है जिसका पीछा प्रभु या उसके अधीनस्थ अधिकारी करते है।'

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2(थ) के अनुसार, 'कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय बनाया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई परिवाद किया जा सकेगा।

आपराधिक प्रवृत्ति

आपराधिक प्रवृत्ति मनुष्य के भीतर निहित वह मानसिक और शारीरिक झुकाव है, जो बाहरी सामाजिक वातावरण (गरीबी, बुरी संगति इत्यादि) के सम्पर्क में आते ही उसे कानून विरोधी कृत्य करने के लिये प्रेरित करता है।

इटली के प्रसिद्ध न्यायविद् और चिकित्सक सेसारे लोम्ब्रोसो ने जैविक सिद्धान्त (Biological Theory) दिया था। उनकी परिभाषा के अनुसार 'आपराधिक प्रवृत्ति जन्मजात (Inborn) होती है'।

[2] Kenny's book 'Outlines of Crimminal law',1962.

[3] BlackSton's "Commentries on the Laws of England, 1772".

एडविन सदरलैण्ड ने अपने 'विभेदक संगति का सिद्धान्त' में परिभाषित किया 'आपराधिक प्रवृत्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है बल्कि यह सीखी जाने वाली प्रक्रिया (Learned Behavior) है'।

पारिस्थितिकी

पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार सबसे पहले जर्मन जीव विज्ञानी अन्स्र्ट हैकेल ने 1869 में किया था। पारिस्थितिकी की संकल्पना मनुष्य और उसके चारों ओर के पर्यावरण के मध्य के स्थानिक संबंधों का परिचय कराने अथवा उत्पन्न करने की भौगोलिक संकल्पना है।

हैण्डलर फिलिप के अनुसार, 'पारिस्थितिकी जीवों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है'।

टुसोव के अनुसार, 'पारिस्थितिकी न केवल पौधों एवं जन्तुओं तथा उनके पर्यावरण के मध्य सबंन्धों का अध्ययन है वरन मानव समाज एवं उनके भौतिक र्प्यावरणों (Physical Environments) के मध्य अन्र्तसंबंधों का अध्ययन है।

शोध समस्या एवं सीमाएं :

मऊगंज जिला पारम्परिक रूप से ग्रामीण एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अधिकतर लाल–बालुई और पथरीली मिट्टी है जिसमें पत्थरों की मात्रा अधिक है एवं जल संकट की समस्या तथा सीमित उपजाऊ मिट्टी होने से जिले में सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं विद्यमान हैं जिनका प्रभाव स्थानीय समाज पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिला बनने के बाद तीव्र शहरीकरण, प्र''ाासनिक संरचना में बदलाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बदलती सामाजिक परिस्थितियां, शिक्षा का निम्न स्तर, गरीबी, बेरोजगारी, सीमिति संसाधन इत्यादि पारिस्थितिकी कारक विद्यमान हैं जो कि व्यक्ति को अपराध की ओर प्रेरित करते हैं।

षोध की सीमाएं :

मऊगंज के नवनिर्मित जिला होने के कारण जिला स्तर पर कई वर्षों का पुराना स्वतंत्र द्वितीयक डेटा (Historical Data) मिलना चुनौतीपूर्ण है। अतः रीवा जिले के पुराने रिकॉर्डस् पर भी निर्भर होना पड़ा।

अपराध जैसे संवेदनशील विषय पर कई बार स्थानीय नागरिक खुलकर उत्तर देने में संकोच कर रहे थे।

शोध की मुख्य समस्या यह है कि मऊगंज जिले का विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती पारिस्थितिकी, ग्रामीण–''ाहरी संक्रमण, सामाजिक आर्थिक संरचना, शहरीकरण इत्यादि, क्या आपराधिक प्रवृत्ति को प्रभावित कर रहें है एवं अपराध वृद्धि में इनकी क्या भूमिका है?

अध्ययन क्षेत्र का परिचय :

मऊगंज म0प्र0 राज्य का 53वां एवं रीवा संभाग का 05वां जिला है जो रीवा जिले से वर्ष 2023 में अलग होकर अस्तित्व में आया। जिसका क्षेत्रफल 1866.88 वर्ग कि.मी. है। यह क्रमशः दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर जिलों से घिरा है। मऊगंज जिला रीवा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और इसमें मऊगंज और देवतालाब दो विधानसभा सीटें हैं। मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी 03 तहसीलें मऊगंज जिले की सीमा में स्थित हैं। जिसमें 1070 गांव, आबादी–6,16,645, पुलिस स्टेशन की संख्या 05 तथा नगरपालिका/नगर परिषद 03 है। मऊगंज जिला अपनी धार्मिक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदर झरनों से समृद्ध है।[4]

सारणी 1: लघु अधिनियम के प्रकरणों की त्रिवर्षीय तुलनात्मक जानकारी

क्र.	अपराध शीर्ष	2023	2024	2025	कमी/वृद्धि का प्रतिशत 2024/2025
1	आर्म्स एक्ट	14	13	9	-30.77%
2	एन.डी. पीएस. एक्ट	35	38	40	5.26%

[4] mauganj.nic.in

3	टाबकारी एक्ट	465	316	338	6.96%
4	विस्फोटक एक्ट	0	1	3	200.00%
5	जुँआ एक्ट/ सट्टा एक्ट	19	14	13	-7.14%
6	मोटर व्ही. एक्ट	1061	3243	3345	3.15%
7	पुलिस एक्ट	0	26	0	-100.00%
8	अन्य लघु अधिनियम	17	0	6	0.00%
	योग–	1611	3651	3754	2.82%

स्त्रोतः– कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला–मऊगंज (म0प्र0)

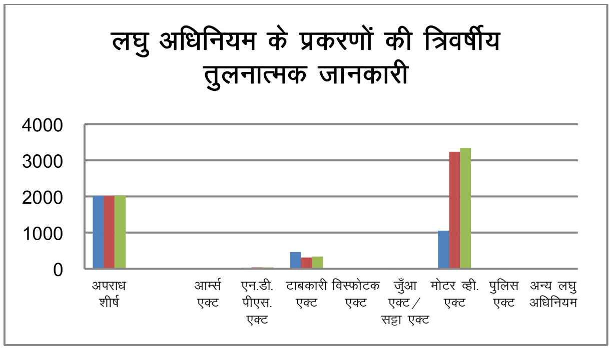

प्रस्तुत सारिणी 01 में वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 के दौरान लघु अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इससे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की प्रवृत्ति तथा उनमें हुई वृद्धि या कमी का अध्ययन किया जा सकता है। वर्ष 2025 में लघु अधिनियमों के अंतर्गत कुल प्रकरणों में 2.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मोटर वीकल एक्ट और जुँआ/सट्टा से संबंधित प्रकरण सर्वाधिक रहे, जबकि आर्म्स एक्ट और पुलिस एक्ट के मामलों में कमी दर्ज की गयी है।

सारणी 2: भा.द.वि./वी.एन.एस. के त्रिवर्षीय तुलनात्मक अपराध वर्ष 2023,2024 एवं 2025

क्र.	अपराध शीर्ष	2023	2024	2025	कमी/वृद्धि का प्रतिशत
					2024/2025
1	हत्या	7	13	13	0.00%
2	हत्या का प्रयास	7	6	7	16.67%
3	डकैती	2	1	1	0.00%
4	डकैती की तैयारी	0	0	0	0.00%
5	लूट	19	9	14	55.56%
6	अपहरण	102	129	124	-3.88%
7	धन लाभ हेतु अपहरण	0	2	0	-100.00%
8	गृहभेदन	99	118	112	-5.08%
9	चोरी	82	60	88	46.67%
10	बलवा	4	5	5	0.00%
11	शीलभंग	38	63	42	-33.33%
12	बलात्कार	54	60	65	8.33%
13	अन्य भादवि.	1577	1813	2012	10.98%
	योग	1991	2279	2483	8.95%

स्त्रोतः– कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला–मऊगंज (म0प्र0)

उपरोक्त सारिणी के अध्ययन से पता चलता है वर्ष 2025 में जिले में कुल अपराधों में 8.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी विशेष रूप से चोरी, रूट, हत्या का प्रयास एवं बलात्कार जैसे अपराधों में वृद्धि देखी गयी है। दूसरी ओर अपहरण, गृहभेदन तथा शीलभंग के मामलों में कमी दर्ज हुई है।

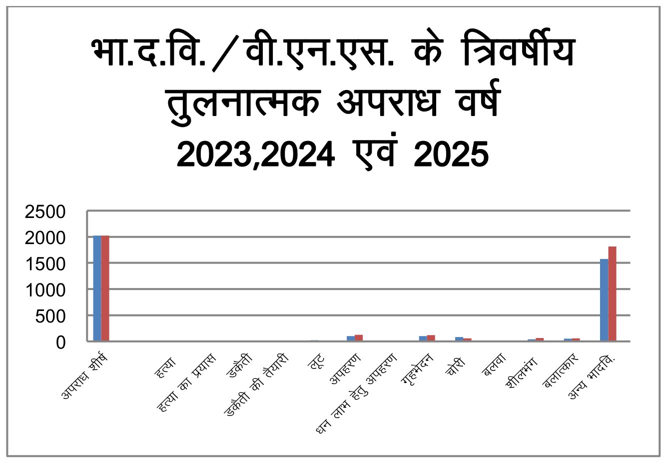

सारणी 3: महिलाओं पर घटित अपराध की त्रिवर्षीय तुलनात्मक जानकारी

क्र.	अपराध शीर्ष	2023	2024	2025	कमी/वृद्धि का प्रति.
					2024/2025
1	बलात्कार	54	60	65	8.33%
2	अपहरण	85	103	103	0.00%
3	शीलभंग	38	63	42	-33.33%
4	आत्महत्या का दुस्प्रेरण	9	7	12	71.43%
5	दहेज हत्या	8	9	8	-11.11%
6	महिला प्रताड़ना	21	37	26	-29.73%
7	भ्रूण हत्या	1	1	1	0.00%
8	मानव तस्करी	0	1	0	-100.00%
9	अनैतिक	0	0	0	0.00%

	देह व्यापार				
	योग	216	281	257	-8.54%

स्त्रोतः— कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला—मऊगंज (म0प्र0)

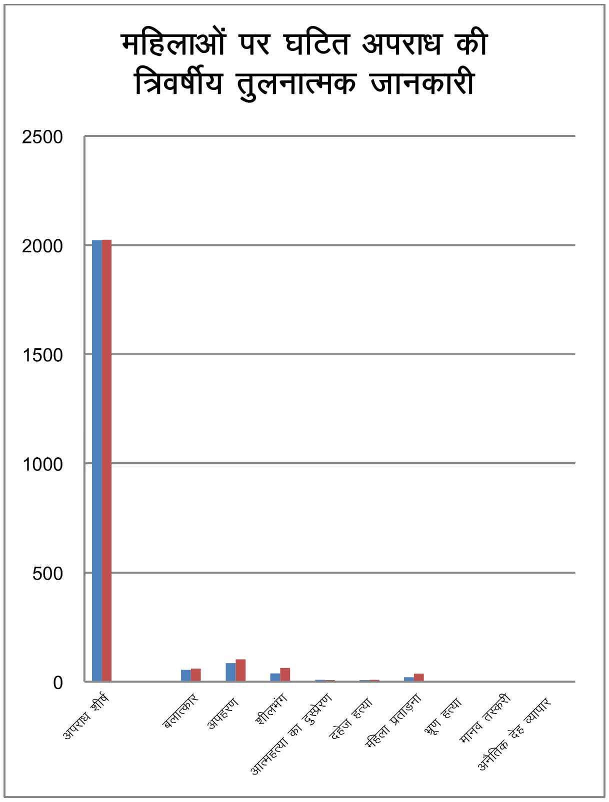

प्रस्तुत सारिणी में महिलाओं से संबंधतिध प्रमुख अपराधों का वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इससे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अपराधों की प्रवृत्ति एवं उनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है।

बलात्कार एवं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामलों में वृद्धि चिंता का विषय है एवं अपहरण के मामलों में कोई कमी नहीं आई जो महिला सुरक्षा के लिए गंभी चुनौती बनी हुई है जबकि महिलाओं के विरूद्ध कुल अपराधों में कमी एक सकारात्मक संकेत है। यह स्थिति दर्शाती है कि जिले की सामाजिक एवं पारिवारिक पारिस्थितिकी महिलाओं के सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

सारणी 4: यातायात दुर्घटनाओं की तुलनात्मक जानकारी (वर्ष 2023,2024,2025) जिला—मऊगंज

क्र.	जिला	अवधि	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	गत वर्ष से कमी या वृद्धि का प्रतिशत	मृतक संख्या	गत वर्ष से कमी या वृद्धि का प्रतिशत	घायलों की संख्या	गत वर्ष से कमी या वृद्धि का प्रतिशत
01		2023	325	—	100	—	285	—
02	मऊगंज	2024	374	15.08%	126	26.00%	315	10.53%
03		2025	467	24.87%	165	30.95%	395	25.40%

स्त्रोतः— कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला—मऊगंज (म0प्र0)

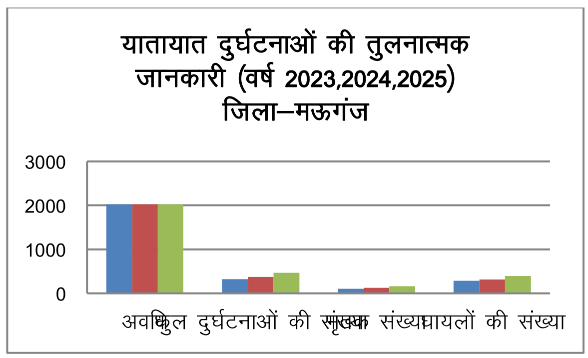

उपरोक्त सारिणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मऊगंज जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं इन दुर्घटनाओं में मृतकों एवं घायलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। जिले में सड़क अधोसंरचना का विकास, वाहनों की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का आभाव, तेजी गति से वाहन चलाना, नशे की अवस्था में वाहन संचालन एवं सड़क सुरक्षा उपयों की सीमित उपलब्धता दुर्घटनाओं में वृद्धि के प्रमुख कारण हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मऊगंज जिले की परिवहन एवं भौतिक पारिस्थितिकी सड़क दुर्घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है।

8. शोध का उद्देष्य एवं महत्व

शोध का मुख्य उद्देश्य मऊगंज जिले के भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक पारिस्थितिकी का, यहां की स्थानीय आपराधिक प्रवृत्तियों पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा अपराध नियंत्रण के लिये सुझाव विकसित करना है।

इसके अलावा कुछ विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. मऊगंज जिले में घटित अपराधों के डेटा का विश्लेषण करना और पता लगाना कि किन अपराधों की दर सबसे अधिक है।
2. मऊगंज जिले के अंतर्राज्यीय सीमा पारिस्थितिकी के प्रभाव का आकलन करना कि कैसे यह खुली सीमा अपराधियों को अपराध के बाद सुरक्षित भागने का मार्ग देती है।
3. सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली अवैध नशीली दवा जैसे प्रतिबंधित कफ सिरप और हथियारों की तस्करी के नेटवर्क को पारिस्थितिकी के नजरिये से समझना।
4. यह जांचना की अनियोजित शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास ने भूमि विवादों, अवैध कब्जा और संपत्ति संबंधी अपराधों को कितना बढावा दिया है।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 135 [5] में होने वाली वाहन दुर्घटनाओं एवं लूट, चोरी इत्यादि अपराधों का अध्ययन करना।
6. मऊगंज जिले के प्रशासन और पुलिस के लिए ऐसे व्यवहारिक सुझाव तैयार करना जिसके तहत संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में सीसीटीवी निगरानी, सीमा पर स्मार्ट चेक पोस्ट और सामुदायिक पुलिसिंग के जरिये अपराध के पारिस्थितिक अवसरों को खत्म किया जा सकता है।

[5] **राष्ट्रीय राजमार्ग–135** (NH-135) यह भारत का एक **राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पूर्व मे उत्तर प्रदेश मे मिर्जापुर** एवं पश्चिम मे मध्यप्रदेश मे मनगवां तक जाता है। यह **राष्ट्रीय राजमार्ग 35 का एक शाखा मार्ग है।** जिसकी लंबाई 130 किलोमीटर है।

9. शोध परिकल्पना

परिकल्पना–1: मऊगंज जिले में सामाजिक एवं आर्थिक पारिस्थितिकीय कारकों का आपराधिक प्रवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना–2: मऊगंज जिले के उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक क्षेत्र की तुलना में संगठित तस्करी और अंतर्राज्यीय अपराधियों की संलिप्तता अधिक है एवं इसका लाभ स्थानीय अपराधियों को मिलता है।

परिकल्पना–3 : मऊगंज के जिला बनने के बाद तीव्र शहरीकरण और बढ़ती भूमि की कीमतों के कारण भूमि संबंधी विवाद और आपसी रंजिश से हिंसक अपराधों में वृद्धि हुई है।

परिकल्पना–4 : मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी के सुदूर भौगोलिक क्षेत्र जंगल या बीहड के नजदीक पारंपरिक अपराध जैसे चोरी, लूट अधिक होते हैं जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 135 के आसपास संगठित और दुर्घटना जनित अपराध अधिक हैं।

परिकल्पना–5 : तकनीकी प्रसार सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से युवाओं में नकारात्मक प्रभाव एवं आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।

10. शोध कार्यप्रणाली

यह शोध मुख्यतः विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है।

अ. प्राथमिक स्त्रोत

शोधार्थी द्वारा अपने अध्ययन कार्य के लिए संबंधित आंकड़े जिला मुख्यालय, सरकारी कार्यालय, न्यायालय, पुस्तकालय तथा इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित किया गया। जबकि प्राथमिक

आंकड़े प्राप्त करने के लिए शोधार्थी द्वारा मऊगंज नगर को अध्ययन क्षेत्र की ईकाई मानते हुए निम्नलिखित प्रश्नावली द्वारा दैव निर्दशन विधि द्वारा साक्षात्कार द्वारा प्राप्त किये गये हैं। साक्षात्कार में 100 व्यक्ति शामिल किये गये हैं।

उत्तरदाता का परिचय—

क्र.	**व्यक्ति**	**पुरुष**	**महिला**	**योग**
01	न्यायाधीश	01	01	02
02	अधिवक्ता	20	10	30
03	स्माजसेवी	20	05	25
04	पुलिस अधिकारी	10	05	15
05	सामान्य नागरिक	20	08	28
	योग—	71	29	100

स्त्रोत : स्वयं के अवलोकन के आधार पर।

उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त अभिमत से यह निष्कर्ष निकलता है कि मऊगंज जिले की पारिस्थितिकी का अपराधों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। जिले का ग्रामीण एवं अर्द्धग्रामीण स्वरूप, सीमिति रोजगार के अवसर, आर्थिक असमानता, बढ़ती जनसंख्या, युवाओं में बेरोगारी तथा शिक्षा के निम्न स्तर जैसी परिस्थितियां अपराध वृद्धि के प्रमुख कारक प्रतीत होती हैं। इसके अतिरिक्त दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस एवं प्रशासन की सीमिति पहुंच तथा सामाजिक जागरूकता की कमी भी अपराधों को प्रभावित करती है।

यह भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक नियंत्रण तंत्र के कमजोर होने, पारिवारिक विघटन, नशे की प्रवृत्ति तथा तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश के कारण भी कुछ अपराधों में वृद्धि हुई है।

11. संवैधानिक एवं विधिक ढांचा

संवैधानिक ढांचा—

'भारत का संविधान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए भौगोलिक एवं प्रशासनिक आधार प्रदान करता है।

सातवीं अनुसूची (समवर्ती एवं राज्य सूची) : संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'पुलिस' (Police) राज्य सूची के विषय हैं {1,2}। मऊगंज में कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी म0प्र0 सरकार और स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन की है।

अनुच्छेद 246 (अंतर—राज्यीय संबंध) : मऊगंज की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। संविधान का यह ढांचा दो राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय के लिए कानूनी आधार देता है। जो सीमावर्ती अपराधों को रोकने के लिए आव''यक है।

अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) : अपराध मुक्त वातावरण नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। शाहपुर जैसी भीड़ जनित हिंसा की घटनाएं इस मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

विधिक ढांचाः मुख्य कानून

मऊगंज की भौगोलिक और सामाजिक पारिस्थितिकी में होने वाले अपराधों पर निम्नलिखित केन्द्रीय कानून लागू होते हैंः

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)ः (पूर्व में IPC) इसके तहत मऊगंज में होने वाली हत्या, मारपीट, भीड़ जनित हिंसा और सम्पत्ति से जुड़े अपराधों (चोरी—डकैती) पर कार्यवाही की जाती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)ः (पूर्व में CrPC) यह कानून पुलिस को मऊगंज के विभिन्न थानों (हनुमना, नईगढ़ी आदि) में एफआईआर दर्ज करने, जांच करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रियात्मक शक्ति (Procedural Power) देता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)ः (पूर्व में Indian Evidence Act) यह न्यायालय में

साक्ष्यों की स्वीकार्यता तय करता है, वि''ौषकर डिजिटल साक्ष्य।

- **पारिस्थितिकीय अपराधों के लिए विषिष्ट कानून :**
  मऊगंज की विशिष्ट पारिस्थितिकीय (जैसे सीमावर्ती क्षेत्र, नशीले पदार्थों का प्रभाव और भूमि विवाद) को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विशेष कानून अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
  सीमावर्ती पारिस्थितिकीय और तस्करी नियंत्रण
  NDPS एक्ट 1985 (स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम) : हनुमना और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर प्रतिबंधित कफ सिरप (जैसे कोडीन युक्त सिरप) और मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए यह कानून सबसे प्रभावी हथियार है।

  औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 : अवैध रूप से दवाओं के भण्डारण और मेडिकल स्टोरों के माध्यम से नशीली दवाओं की बिक्री पर नियंत्रण हेतु।

  मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 (जिला बदर कानून) इत्यादि।

मुख्य चुनौतियां

मऊगंज की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और प्रशासनिक पारिस्थितिकीय के कारण कानून व्यवस्था के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

- अंतर्राज्यीय सीमा का भौगोलिक लाभ : हनुमना ब्लाक की सीमा उत्तर प्रदेश (प्रयागराज / मिर्जापुर) से खुली हुई है। नदी, नालों और जंगलों वाले दुर्गम भौगोलिक रास्तों का लाभ उठाकर अपराधी आसानी से सीमा पार कर जाते हैं। वारदात के बाद दूसरे राज्य में शरण लेने के कारण मध्यप्रदेश पुलिस के लिए उन्हें तुरन्त पकड़ना एक बड़ी विधिक और भौगोलिक चुनौती है।
- नशीले पदार्थों का पारिस्थितिकीय जाल : उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों से मऊगंज के ग्रामीण अंचलों में प्रतिबंधित कोड़ीन युक्त कफ सिरप, कोरेक्स और अवैध गांजे / शराब की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क होना परिलक्षित हुआ है। भौगोलिक निकटता के कारण युवा वर्ग (18–25 आयुवर्ग) इसका तेजी से शिकार हो रहा है जो आगे चलकर चोरी और लूट जैसे अपराधों को जन्म दे रहा है।
- भूमि की कीमतों में उछाल और भू–माफिया : वर्ष 2023 में मऊगंज का नया जिला बनने के बाद यहां जमीनों के दाम आसमान छू रहें हैं इस आर्थिक पारिस्थितिकीय बदलाव के कारण जमीनी विवादों, फर्जी रजिस्ट्री और बाहुबलियों द्वारा अवैध कब्जों के मामलों में अप्रत्याशित बाढ आई है। राजस्व मामलों का समय पर निपटारा न हो पाना इन्हें हिंसक अपराधों में बदल रहा है।
- राजमार्ग पर त्वरित पलायन : राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 135 मऊगंज के बीच से गुजरता है। हाइवे के किनारे स्थित सूनसान ढाबों, पेट्रोल पंपों और बस्तियों में अपराधियों के लिए 'वारदात करो और भागो' (Hit and Run) की रणनीति अपनाना आसान है क्योंकि यहां त्वरित गतिशीलता (High Mobility) उपलब्ध है।
- डिजिटल अव्यवस्था और सामाजिक नियंत्रण का ह्रास : ग्रामीण क्षेत्रों (जैसे हालिया शाहपुर / गडरा बेल्ट) में पारंपरिक सामुदायिक नियंत्रण कमजोर हुआ है। सोशल मीडिया (व्हाट्सएप / फेसबुक / इंस्टाग्राम) के पारिस्थितिक प्रभाव के कारण भड़काऊ

अफवाहें तेजी से फैलती हैं। जिससे भीड़ जनित हिंसा की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि मऊगंज जिले में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, नशाखोरी, सामाजिक असमानता एवं जिले की भौगोलिक परिस्थितियों जैसे पहाड़ी क्षेत्र जमीनों का उपजाऊ नहीं होना, पानी की कमी एवं जिले का उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से सटा होना छत्तीशगढ़ राज्य की सीमा के पास में होना इत्यादि कारण अपराध वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अपराध नियंत्रण हेतु शिक्षा का प्रचार–प्रसार, रोजगार के अवसरों की वृद्धि, सरकारी योजनाओं का आम जनता तक लाभ, सामाजिक जागरूकता, विधिक साक्षरता तथा प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है। जो कि किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर थानों में आम जनता और प्रशासन के मध्य बैठकों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है। साथ ही न्यायालय द्वारा भी प्रत्येक माह विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है। समय–समय पर जेल में विरूद्ध विचाराधीन बंदियों एवं सजायाफता कैदियों के बीच विधिक जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है जिससे अपराधियों के जीवन में सामाजिक सुधार की संभावनाओं का आधार मजबूत हो रहा है।

14. व्यवहारिक सुझाव

इन पारिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने के लिए पारम्परिक पुलिसिंग के बजाय पारिस्थितिकीय पुलिसिंग मॉडल (Ecological Policing Model) अपनाने की आवश्यकता है।

- स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट : उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हनुमना के सभी एन्ट्री और एग्जिट प्वाइंटस् पर स्मार्ट चेक पोस्ट स्थापित किये जाने चाहिए, इन चौकियों पर ए.एन.पी.आर. (Automatic Number Plate Recognition) और नाइट–विजन सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें। साथ ही मऊगंज पुलिस और यूपी (प्रयागराज/मिर्जापुर) पुलिस के बीच 'अतर्राज्यीय त्वरित समन्वय विंग' (Inter-State Coordination Cell) का गठन हो। हाइवे पेट्रोलिंग और सीसीटीवी नेटवर्क (Highway Surveillance) एन.एच. 135 पर निश्चित दूरी पर पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों (डायल 100) की तैनाती बढ़ायी जाय। हाइवे के किनारे स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (ढावों/होटलों) के लिए अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे लगाने और आगन्तुकों का रिकार्ड रखने का विधिक नियम कडाई से लागू हो।
- फास्ट–ट्रैक लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन (Speedy Land Justice) जिला प्रशासन को मऊगंज और नईगढ़ी तहसीलों में जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए विशेष राजस्व पुलिस टास्क फोर्स बनानी चाहिए। सीमांकन और नामांतरण के मामलों को समय–सीमा के भीतर हल किया जाय ताकि दीवानी विवादों को फौजदारी (Criminal) मामलों में बदलने से रोका जा सके।
- डिजिटल वालेंटियरर्स और सामुदायिक पुलिसिंग (Cyber Ecological Control) ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहों को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 'डिजिटल पुलिस मित्र' (स्थानीय भरोसेमंद युवाओं का समूह) बनाएं जाएं। जो सोशल मीडिया पर फैलने वाले भ्रामक संदेशों की तुरन्त सूचना पुलिस को दे। शाहपुर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस – पब्लिक संवाद बैठ के निरंतर आयोजित हो।
- एंटी ड्रग्स स्क्वाड और नशामुक्ति केन्द्र : सीमावर्ती थानों के अंतर्गत नशीले पदार्थों की सघन चेकिंग के लिए एक विशेष 'एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स' तैनात की जाय इसके साथ ही प्रभावित युवाओं के पुर्नवास के लिए मऊगंज जिला अस्पताल में एक शासकीय नशामुक्त एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना किया जाना उचित होगा।
- **संदर्भ सूची:–**

1. भारत का संविधान–डॉ0 जयनारायण पाण्डेय (Central Law Agency)
2. विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत–डॉ0 एन0वी0परांजपे
3. भारतीय दंण्ड संहिता–डॉ0 सूर्यनारायण पाण्डेय
4. विभिन्न शोधपत्र एवं जरनल
5. समाचारपत्र एवं सरकारी रिपोर्टस
6. इन्टरनेट स्त्रोत
7. अन्य पुस्तकें
8. मऊगंज और रीवा जिले के पुलिस थानों में एफ.आई.आर. (FIR) रिकार्ड और दैनिक डायरी।
9. जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (DCRB) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े।
10. मऊगंज जिले की आधिकारिक व्यवसाइट से प्राप्त भौगोलिक और जनसांख्यिकीय (Demographic) डेटा।
11. हालिया वर्षों (जैसे शाहपुर/गड़रा, खजुरहन, बहुती, देवरा, धरमपुरा, हाटा क्षेत्र में हुई हिंसक घटनाएं) से जुड़े दस्तावेज और समाचार अभिलेख।